



पीएम श्री
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-01, नीमच
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एवं स्वायत्त निकाय
KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, NEEMUCH
AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA

दूरदर्शन टावर के सामने, किला रोड, नीमच (म.प्र.) 458441/Opp. Doordarshan Tower, Kila Road, Neemuch - 458441(M.P.)

दूरभाष/ Phone: (07423)-220233

ई-मेल/ E-Mail: ppl.neemuchcrpf@kvs.gov.in वेबसाइट /Website: <https://crpfneemuch.kvs.ac.in>

KV Code 1127

CBSE Affiliation No: 1000009

UDISE Code: 23180720605

CBSE School Code: 54111

फा. क्र. 1-23/के.वि.क्र.1/नीमच/ 2025-26

दिनांक: 15.09.2025

सत्र 2025-26 के लिए अनुबंध के आधार पर संविदा स्टाफ की नियुक्ति

सत्र 2025-26 हेतु केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 01 नीमच में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुबंध के आधार पर संविदा स्टाफ की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है।

साक्षात्कार में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र, आवश्यक योग्यता, वेतन तथा अन्य दिशा निर्देशों हेतु विद्यालय की वेबसाइट <https://crpfneemuch.kvs.ac.in/> का अवलोकन करें।

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन करें। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी वर्षों की अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रति सहित निम्न विवरण के अनुसार साक्षात्कार के लिए विद्यालय में उपस्थित होंगे। ईमेल के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। साक्षात्कार के इच्छुक सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को प्रातः 9.00 बजे तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।

पद	साक्षात्कार दिनांक
व्यावसायिक अनुदेशक (Vocational Instructor)	दिनांक 20.09.2025 प्रातः 9 बजे से

उक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता का विवरण तथा अन्य दिशा निर्देश निम्न अनुसार है:

No.	Post	Minimum Qualification
1.	व्यावसायिक अनुदेशक (Vocational Instructor)	<ul style="list-style-type: none">B.E., B.Tech, Electronics & Communication EngineeringMinimum One Year Experience in the relevant fieldConsolidated Remuneration of Rs. 25000/- per month may be given to the instructor

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

- The employee, if appointed on contractual basis, will cease to be the employee and the contract stands automatically terminated on the joining of regular incumbent / till the end of the session/ need basis in case of instructors or coaches, whichever is earlier.
- Coaches / Instructors services are on need basis, hence as per the need they will be appointed and not for entire session.
- Instructor will not be entitled for pay, if remains absent on working day. In case of absence from duty, payment will be calculated on pro rata basis.
- Contractual Instructor, if appointed shall maintain absolute integrity towards his/ her profession and justify his/her services. The students must be benefited with class room transaction / any allied academic activity. He /She should take utmost care of students under his/her care, as the safety and security of the students is paramount. He /She should not resort to corporal punishment. He /She should maintain

himself / herself in such a way as the society expects from a teacher. They should follow the Code of Conduct for Teachers (KVS Education Code). Private tuitions will not be allowed.

- No other service benefits, like EL/ TA & DA/LTC/Medical etc., will be extended to contractual staff, if appointed. Tendency of frequent absenteeism or long leave will be viewed seriously.
- Canvassing in any form leads to the disqualification of candidature.
- Interviews are conducted for preparing the panel of contractual staff and to appoint on purely contractual basis & need basis.
- Candidates are advised to check the eligibility criteria, before applying / attending interview. If a candidate does not possess the requisite qualification, she/he will not be interviewed. Even if interviewed, found ineligible at later stage, will not be placed in Panel / appointed. Due to furnishing wrong information and appointed and found later, services will be terminated and appropriate action will be initiated against such candidates.
- Services of contractual teacher will be evaluated on a regular basis and services will be terminated if the performance is not up to the desired mark. He/ She should perform all the assignments / tasks allotted by Principal /HM / senior teacher/ Incharges of Committees, from time to time. Based on exigency / need of the services of the teacher, lower classes / higher classes may be assigned.
- Interviews are conducted for preparing the panel of contractual staff and to appoint on purely contractual basis & need basis.
- Services of contractual teacher will be evaluated on a regular basis and services will be terminated if the performance is not up to the desired mark.
- A contractual teacher, if appointed, and later wants to discontinue for any reason, at least one month notice must be given for allowing the management to make further alternative arrangements.
- Before end of the contract, or before quitting with one month notice the contractual teacher must produce no dues certificate, failing which the salary due will be withheld.
- Contractual teacher, if appointed shall maintain absolute integrity towards his/ her profession and justify his/her services. The students must be benefited with class room transaction / any allied academic activity. He /She should take utmost care of students under his/her care, as the safety and security of the students is paramount. He /She should not resort to corporal punishment. He /She should maintain himself / herself in such a way as the society expects from a teacher.
- He/ She should perform all the assignments / tasks allotted by Principal /HM / senior teacher/ Incharges of Committees, from time to time. Based on exigency / need of the services of the teacher, lower classes / higher classes may be assigned.
- In case of vacancy the panel will be operated. If a candidate refuses / does not join in , he / she will not be considered further. Hence, it is made abundantly clear that no individual choice will be entertained.
- Candidates are advised to check the eligibility criteria, before applying / attending interview. If a candidate does not possess the requisite qualification, she/he will not be interviewed. Even if interviewed, found ineligible at later stage, will not be placed in Panel / appointed. Due to furnishing wrong information and appointed and found later, services will be terminated and appropriate action will be initiated against such candidates.

- सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है।
- शिक्षकों के सभी पदों के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से शिक्षण में प्रवीणता अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को सभी वर्षों/सेमेस्टर की मूल अंकतालिका तथा अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उनकी स्व सत्यापित छाया प्रति तथा रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सहित स्वयं के खर्च पर निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है।
- उक्त सभी पदों पर नियुक्ति अंशकालीन संविदा अनुबंध के आधार पर है। उम्मीदवार भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार की नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
- मात्र पैनल में नाम शामिल होना अंशकालिक संविदा/ अनुबंध आधारित नियुक्ति का आधार नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाएगा। चयनोपरांत भी आवश्यकता ना होने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- आवश्यकता होने पर तथा योग्य अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए लिखित एवं कौशल परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा/**Aptitude Test/ Screening test/Physical test** भी साक्षात्कार (**Walk-in Interview**) का एक भाग हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आएं।
- साक्षात्कार (**Walk-in Interview**) में उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे आवश्यक अर्हता रखते हैं। आवश्यक अर्हता न रखने वाले अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित हैं अथवा अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, साक्षात्कार (**Walk-in Interview**) हेतु पात्र नहीं होंगे।
- समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (**Walk-in Interview**) में शामिल नहीं किया जाएगा तथा इसकी समस्त ज़िम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- अपरिहार्य परिस्थिति में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने पर किसी भी पद के लिए साक्षात्कार का आयोजन अन्य दिनांक को किया जा सकता है जिसकी सूचना विद्यालय सूचना पटल एवं वैबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को शिक्षकों के लिए लागू आचार संहिता तथा समय समय पर जारी शासकीय निर्देशों का अनिवार्य अनुपालन करना होगा।
- सभी पदों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन का ज्ञान वांछनीय है।
- सभी शिक्षण पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण की दक्षता अनिवार्य है।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में शामिल होने पर कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- योग्य उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटो प्रतियों के एक सेट के साथ साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं।
- केवल साक्षात्कार में भाग लेने से नियुक्ति/पैनल में स्थान का अधिकार नहीं मिलता है। यदि उम्मीदवार का साक्षात्कार में प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसे पैनल में रखा जाएगा। (साक्षात्कार में 33% और उससे अधिक अंक या साक्षात्कार समिति द्वारा तय की गई न्यूनतम कटऑफ)। उच्च योग्यता/अनुभव के लिए कोई अलग वेटेज/अंक नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार में सभी का समग्रता से मूल्यांकन किया जाएगा।

- यदि कोई संविदा शिक्षक नियुक्त किया जाता है तो उसे तुरंत कार्यभार ग्रहण करना होगा. कोई कार्य भार ग्रहण विस्तार/लंबी छुट्टी/अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- संविदा के आधार पर लगे शिक्षकों के पास नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा और न ही वे केवीएस के नियमित शिक्षकों के कैडर का हिस्सा होंगे.
- संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी ग्रीष्म अवकाश/शरदकालीन अवकाश/शीतकालीन अवकाश के दौरान वेतन के हकदार नहीं होंगे.
- वेतन का भुगतान केवीएस नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा.
- काम के घंटे नियमित शिक्षक के समान होंगे.
- निजी ट्यूशन की अनुमति नहीं होगी.
- केविसं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया **www.kvsagathan.nic.in** देखें.

प्राचार्य